# [Mr. Dy. Speaker]

plete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st of March, 1971, in respect of 'Capital outlay on Posts and Telegraphs (Not met from Revenues)'."

# DEMAND NO. 137—OTHER CAPITAL OUTLAY OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

"That a sum not exceeding Rs. 1,53, 17,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Other Capital outlay of the Department of Communications'."

## DEMAND No. 98—DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

'That a sum not exceeding Rs.10,72,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Department of Parliamentary Affairs'."

## DEMAND No. 101—PLANNING COM-MISSION

'That a sum not exceeding Rs.1,26, 41,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of Planning Commission."

## DEMAND NO. 102-LOK SABHA

"That a sum not exceeding Rs. 2,28, 39,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Lok Sabha'."

#### DEMAND No. 103—RAIYA SABHA

'That a sum not exceeding Rs.90,89,000 be granted to the President to complete the um necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Rajya Sabha'."

## DEMAND No. 104—SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT

'That a sum not exceeding Rs.2,75,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Secretariat of the Vice President.'."

#### 18.59 hrs.

APPROPRIATION (No. 2) BILL\* 1970

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71.

#### 19.00 hrs.

Mr. Deputy Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71."

#### The motion was adopted.

Shri P. C. Sethi: Sir, I introduce+ the Bill.

Sir, I beg to move+ :

"That the Bill to authoise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71, be taken into consideration."

Mr. Deputy Speaker: Mr. Shiva Chandra Jha.

<sup>\*</sup>Published in Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated April 30, 1970.

<sup>+</sup>Introduced/moved with the recommendation of the President.

श्री नंबर सास गुप्त (दिल्ली संबर) : इसको कल लिया जाए।

Mr. Deputy-Speaker: He has said that he wanted to make certain points on the demands guillotined. I have given him permission to speak for five minutes.

श्री कंबर लाल गुप्त: कब तक यह चलेगा?

श्री किष खन्त्र का (मधुननी): उपाध्यक्ष महोदय, 16325 करोड़ 76 लाल श्रीर 4 - ह्रजार उपये की रकम की मंजूरी हम देने जा रहे हैं। इस वनत यह बड़ा लाजिमी हो जाता है कि हम कुछ उन बातों की श्रोर इस सदन का घ्यान दिलायें जिन बातों पर चर्चा नहीं हुई है, जिन मंत्रालयों की माँगों पर चर्चा नहीं हुई है, जिन मंत्रालयों की सर्च की माँगों को हमने पास कर दिया है। ऐसी श्रवस्था में हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम उन मंत्रालयों के सम्बन्ध में कुछ जरूरी बातों की श्रोर सदन का घ्यान दिलायें।

पहला विभाग जिस के मताल्लिक मैं कहना चाहता हूं वह प्लानिंग कमिशन म्रापको याद होगा कि पिछले साल प्लान पर बड़ी बहस हुई थी। इस साल समय की कमी की वजह से हम बहस नहीं कर सके। लेकिन यह एक ग्रहम मंत्रालय है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस में क्या हो रहा है। कहने के लिए तो चौथी पंच-वर्षीय योजना का दूसरा साल जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि उस योजना का ग्राखिरी रूप क्या होगा। वह योजना इस सत्र के ग्राखिर तक ग्रायेगी, इस में भी शक मालूम होता है। इससे पहले कि हम प्लानिंग कमीशन के लिए 1,51,69,000 रुपये की रकम को मन्जूर करें, प्रधान मंत्री जी यह बतायें कि चौथी पंच-वर्षीय योजना कब तक **बाने वाली है, वह बायेगी भी या नहीं बौर** उस का ध्राखिरी रूप क्या होगा।

एक भीर मंत्रालय इनफर्मेशन तथा बाड-कास्टिंग का है, जिसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं की गई है। इस मंत्रालय के भ्रन्तगंत प्रैस है, जो समाज का एक बड़ा हथियार है। प्रैस के मृताल्लिक न जाने कितनी दफा यह कहा जाता है कि प्रैस स्वतंत्र होना चाहिए, उसका रूप यह होना चाहिए, वह होना चाहिए । सेकिन ऐसा मालूम होता है कि सरकार के पास स्वतंत्र प्रैस का कोई नक्शा नहीं है। फीडम

श्राफ प्रैस के सम्बन्ध में कहि दफा कमीशन विठाय गये, लेकिन सरकार ने उनकी सेक्सें-डेशन्ज को लागू नहीं किया। ग्राज संसार बहुत छोटा हो गया है, देशों की दूरी बहुत कम हो गई है और इसलिए एक मल्क का असर दूसरे मल्क पर होता है। इस स्थिति में प्रसाका महत्व बहुत बढ़ जाता है। मैं चाहुगा कि इन-फर्मेशन एंड बाडकास्टिंग मंत्रालय फीडम आफ दि प्रैस की तफसील में जाने के लिए एक अपीर प्रैस कमीशन मुकर्र करे। दूसरे मुल्कों में ऐसे कमीशन नियुक्त किये गये हैं। ग्रमरीका में हिन्ज कमीशन भीर इंगलैंड में रायल कमीशन नियुवत किया गया था। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि प्रैस उद्योग में मानोपली भौर एकाधिपत्य के कारण प्रस की स्वतंत्रता की कहा तक घवका लगा है श्रीर नियोजित श्रयं-ध्यवस्था में प्रैस कहाँ तक स्वतंत्र रह सकता है। किटल इसके कि हम इस मंत्रालय की मांगों को पारित करें, उसका यह फज है कि वहं इन बातों पर रौशनी डाले।

जहाँ तक वर्क्स, हाउसिंग एंड ग्रारबन डेवेलपमेन्ट मंत्रालय का सम्बन्घ है, दिल्ली में हमारी ग्रांखों के सामने, ग्रंडर दि नोज ग्राफ दि पालियामेन्ट, कंस्ट्रवशन के सिलसिले में कई प्रकार की घाँघलियाँ चल रही है। ग्रखबारों में श्राता है कि एम० पीज० के लिए बड़े-बड़े फ्लैट बनवाये जा रहे हैं। मझे पुरा विश्वास है कि एसे कामों में पचास परसेंट पैसा बर्बाट किया जा रहा है, लेकिन इस मंत्रालय की तरफ कोई घ्यान नहीं दिया जाता है। साउथ ऐवेन्य ग्रीर नार्थ ऐवेन्य में कंस्टक्शन में जो घांघलियाँ होती हैं, उनकी तरफ मैंने मंत्री महोदय का घ्यान कई दफा खींचा है, लेकिन उनके कानों पर जुंतक नहीं रेंगी है। इसलिए मैं यह चाहंगा कि यह कांस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं उसमें कितना कांट्रैक्टर खाता है, कितना इनको मिलता है, मंत्रियों को भी मिलता है या नहीं मिलता है, किस किस को मिलता है इन सभी बातों की जाँच के लिए एक कमेटी बनाएं जो इस प्रकार की यह जितनी घांघलियाँ होती हैं उनकी जौच करे।

चौथी भ्रीर भ्रास्तीरी बात जिस पर चर्चा नहीं हुई वह एटामिक एनर्जी है। इसके मुताल्लिक बहुत सी बातें भ्राघ घंटे की चर्चा भौर डिफेंस की डिमॉड तथा भौर दूसरे रूपों में चर्चा के दौरान भ्राई। लेकिन जो परिस्थिति भ्रभी हुमारे

# भी शिव चन्द्र भा ]

सामने है इसमें मैं जानना चाहता हूं प्रधान मंत्री अपी से कि एटामिक नीति जो हमारी है, जो षटनाएं सामने था रही हैं, उस संदर्भ में क्या सरकार कुछ निश्चय करने जा रही है या नहीं। सास कर के जो उसके भन्दर में होता है वह तो कुछ पता नहीं। पहली बात तो जो नजर-श्रंदाजी की जा रही है इस डिपार्टमेन्ट के लिए वह मनासिब नहीं है। एटामिक एनर्जी का जब भी सवाल बाता है उप मंत्री को खडा कर दिया जाता है कि ब्राप बोलो। उस दिन स्पेस की बात हुई तो प्रधान मंत्री जी मौजूद नहीं थीं। इतना ग्रहम सवाल था, चीन ने सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा, सारा मुल्क जानना चाहता था कि हिन्दस्तान का क्या री-ऐक्शन है, प्रधान मंत्री जी ब्राती हैं, लेकिन उपपंत्री को खडा कर दिया कि तुम इसका मुकाबिला करो। इस तरह से यह हमारा जो महकमा है, इसकी नजर भ्रन्दाजी की जाती है। इन सब बातों की सफाई हो तब हम इन डिमांडस को पास करें।

Mr. Deputy-Speaker : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71, be taken into consideration."

## The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker : Now, the question is :

> "That clauses 1, 2, 3 the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri P. C. Sethi : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

Mr. Deputy-Speaker : The question is ;

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

19.09 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, May, 1, 1970/Vaisakha 11, 1892 (Saka).